प्रश्न- राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक मुखिया) होता है। इसके पद से संबंधित उत्पन्न विवादों को स्पष्ट करें, साथ ही इसकी विवेकाधीन शक्तियों की भी चर्चा करें? (250 शब्द)

Governor is the executive head (Constitutional head) of the state. Throw some light on the Controversies related to this position. Also discuss the discretionary powers of Governor in reference to any state. (250 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में राज्यपाल को समस्या को समझाऐं।
- अगले पैरा में राज्यपाल से संबंधित उत्पन्न विवादों को बताऐं।
- फिर अगले पैरा में इसकी विवेकाधीन शक्तियों को बताऐं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें

भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, जैसे कि केन्द्र के लिए। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है।

राज्यपाल से संबंधित उत्पन्न विवाद-

केन्द्र राज्य संबंध में-

- भारत में संविधान राज्यपाल से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। जब राज्यपाल अपनी इन भूमिकाओं में संमन्वय नहीं बना पाता तो राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है। इससे केन्द्र-राज्य संबंध भी तनावपूर्ण बन जाते है।

अन्य संबंधित मुद्दे-

- राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना
- अनुच्छेद 200, के तहत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रपति के पुर्नविचार के लिये आरक्षित कर लेना।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना।
- स्वविवेक की शक्ति का गलत व्याख्या करना।
- विधानसभा में सदन के पटल पर बहुमत का निर्धारण किये बिना मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देना।

सुझाव-

- राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना।
- केन्द्र में सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में शामिल रहे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति

- उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। **अनुच्छेद 163(1)**
- किसी भी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
- जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिये जाता है तो वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के मंत्रीपरिषद से स्वतंत्र होकर निर्णय लेना।
- विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से हाल में अरूणाचल प्रदेश में नवाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) केस में न्यायालय ने राजपाल की शक्तियाँ स्पष्ट कीं।

  कोई विषयस्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है या नही इसका निर्धारण राज्यपाल करेगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोटः- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते है।